

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION-3,  
SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)  
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

**Notification No. 83/2016-Customs (N.T.)**

New Delhi, dated the 09<sup>th</sup> June, 2016

G.S.R. ....(E).-In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 61/94-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary; part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 828(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 13 relating to the State of Punjab, in column (4), for items (i) and (ii) against item (b) in column (3), the following shall be substituted, namely:-

“Unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods”.

[F.No.520/20/2010-Cus-VI]

  
(Z.R. Kamili)  
Director (Customs)

Note:- The principal notification No.61/94-Customs (N.T.), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 828(E), dated the 21<sup>st</sup> November, 1994 and last amended by notification No.99/2015-Customs (N.T.) dated the 15<sup>th</sup> October, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 783(E) dated the 15<sup>th</sup> October, 2015.

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 83/2016- सीमा शुल्क (गै.टे.)


नई दिल्ली, 09 जून, 2016

सा.का.नि. ....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 61/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, पंजाब राज्य से संबंधित क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) के मद (ख) के स्थान पर कॉलम (4) के मद (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"आयातित माल को उतारना और निर्यात माल को या इस प्रकार के किसी भी माल को लादना।"

[फा.सं. 520/20/2010-सीमा शुल्क VI]



(जेंड.आर. कामिली)

निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : मुख्य अधिसूचना सं. 61/1994- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को सा.का.नि. संख्या 828 (अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गई, और इसमें अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 783 (अ), दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से अधिसूचना सं. 99/2015- सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 15 अक्टूबर, 2015, के तहत संशोधन किया गया है।